

सं.ई-11012/1/2023-हिन्दी/ ५३०

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

जल शक्ति मंत्रालय

केंद्रीय जल आयोग

कक्ष संख्या 300, नवीन पुस्तकालय भवन

रा.कृ.पुरम,नई दिल्ली-110066

दिनांक: 20 फरवरी, 2024

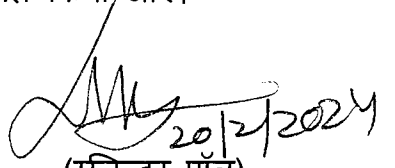
परिपत्र

विषय- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम (5) का अनुपालन करने के संबंध में

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 16.02.2024 का कार्यालय ज्ञापन संलग्न किया जा रहा है।

आयोग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम (5) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक: यथोपरि


(रजिन्दर पॉल)

उप निदेशक (रा.भा.)

के.ज.आ.(मु.)

आयोग के सभी अधिकारी/कर्मचारी (वेबसाइट के माध्यम से)

प्रतिलिपि:

सहायक निदेशक (रा.भा.), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली

फा.सं.-ई-11016/1/2024-हिंदी/370

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, दिनांक: 16.02.2024कार्यालय ज्ञापन

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन हेतु राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत निम्नलिखित 14 दस्तावेज अर्थात् 1. सामान्य आदेश (General Orders), 2. संकल्प (Resolution), 3. परिपत्र (Circulars), 4. नियम (Rules), 5. प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन (Administrative or other reports), 6. प्रेस विज्ञप्तियां (Press Release/Communiques), 7. संविदाएं (Contracts), 8. करार (Agreements), 9. अनुज्ञप्तियां (Licenses), 10. निविदा प्रारूप (Tender Forms), 11. अनुज्ञा पत्र (Permits), 12. निविदा सूचनाएं (Tender Notices), 13. अधिसूचनाएं (Notifications), 14. संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज़ पत्र (Reports and documents to be laid before the Parliament) को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। साथ ही, राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से हिंदी में दिए जाएंगे।



(सज्जन कुमार)

सहायक निदेशक (रा.भा.)

दूरभाष:-23310408

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. मंत्रालय के सभी अनुभाग/संगठन/अधीनस्थ कार्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम।